विवरण पत्रिका

संस्थापित वर्ष – 25 अगस्त 1990 कॉलेज कोड – 052

भारतीय कपिल मुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय
(डा. बी.आर. अम्बेदकर विश्वविद्यालय,आगरा से सम्बद्ध)
करपिया – बेवर मैनपुरी

स्व0 मेजर युधिष्ठिर सिंह
संस्थापक/संरक्षक

महर्षि कपिलमुनि संस्थापन व भारतीय कपिलमुनि स्नातकोत्तर महाविद्यालय का इतिहास/रूपरेखा (संक्षिप्त परिचय)

परम विख्यात महान तेजस्वी प्रतापी महर्षि कपिलमुनि के सुनाम पर संचालित भारतीय महाविद्यालय की आधार शिला व सुस्थापना का स्वपन महाविद्यालय संस्थापक एवं सचिव/प्रबंधक सेना से अवकाश प्राप्त मेजर युधिष्ठर सिंह ने देखा। नितान्त पिछले हुए क्षेत्र से उच्च शिक्षा की महती कमी ने सिंह साहब के मन मस्तिष्क को सत् प्रेरित किया। उक्त प्रेरणा रूपी स्वप्न को श्री सिंह साहब ने ईश्वर का आशीर्वाद रूप में ग्रहण करते हुए क्षेत्र की उदारगमन तारीख सहयोगी जनता के बीच अप्रैल सन् 1989 से जाना शुभारम्भ किया। परिणामतः जनता के बीच अपने ह्रदस्थ अप्राप्य स्वप्न को बताया। क्षेत्रवासियों को सिंह साहब पर तो अटूट विश्वास था, लेकिन स्वप्न, विचार, तथा उदगार को श्रवण कर दिया स्वप्न की संज्ञा दी नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले सहयोगियों ने सिंह ाहब से कहा – 'यह असाध्य कार्य असम्भव है' अप्राप्य तथा नामुमकिन है साथ ही साथ उपहास से भी सिंचित किया। महान दार्शनिक एमर्शन के अनुसार – ''आत्म विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है'' (Self trust is the first secret of success) उक्त पंक्ति को चरितार्थ करते हुए ''यथानाम तथा गुणः' नाम से धर्मराज आत्मविश्वासी मेजर युधिष्ठर सिंह ईश्वर प्रदत्त प्रेरणा से प्रेरित होकर असहयोगियों द्वारा किये गये उपहास को चुनौती रूप से सहर्ष स्वीकार करते हुए इस असाध्य कार्य को करने के लिए दृढ संकल्पित हो गये। किसी दार्शनिक ने सत्य कहा है **''धैर्य और दृढ़ संकल्प सफलता का मूलमंत्र है''**

संकल्प सफलता का मूलमंत्र है।''

उक्त पंक्ति से प्रेरित होकर साहसी निर्भीक, उदार सरल स्वभाव से अंलकृत अहर्निस परिश्रम करने वाले सिंह साहब ने महाविद्यालय की सुसंस्थापना हेतु अपनी जन्मस्थली बेवर में पूंजीपति जनता के बीच अपनी बात रखी इसके प्श्चात् बेवर के टाउनहाल में उक्त विषय से सम्बन्धित एक संगोष्ठी का आयोजन किया संगोष्ठी को बहस के रूप में परिवर्तित कर विश्व के आठवें आश्चर्य की संज्ञा देकर सिंह साहब को चुनौती से आप्लावित कर दिया। दृढ़ संकल्पित व सच्ची लगन से मेजर साहब को प्रति पल प्रेरित किया। इसके पश्चात् सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले सिंह साहब महर्षि कपिलमुनि की तपोस्थली पवित्र भूमि ग्राम करपिया में अपने बचपन के सहपाठी मित्र डा. सुरेन्द्र सिंह राठौर के पास आकर दिवस के द्वितीय प्रहर से मिलें। जहां राठौर साहब अपनी भैसों को चरा रहे थे सिंह साहब ने अपने उद्गार एस.एस. राठौर से उच्चरित किये। सिंह साहब के उद्गारों से प्रेरित श्री राठौर जी ने सिंह साहब को त्रिवाच रूपी वचन दिया कि यदि आप महाविद्यालय का निर्माण करायेंगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी श्रीमती रामदुलारी के नाम पर 6 बीघा जमीन दान दूंगा।

''यदि हौसले बुलन्द हैं तो मंजिल मिल ही जायेगी।

तुम चलो एक कदम तो वह दस कदम स्वयं चली आयेगी।।''

तत्पश्चात् इसी दिन सिंह साहब के समतुल्य अपने मामा रामसिंह ग्राम प्रधान के पास पहुंचे जिन्होंने 6 बीघा जमीन को देने की सत् घोषणा कर अपने भांजे के सतोत्साहित किया। इसी बीच उन्होंने ग्राम प्रधान की हैसियत से सभा की। सभा में सिंह साहब ने अपने मार्मिक उदबोधन में कहा '' इस गांव की मिट्टी से मैं जुड़ा हूं, इसी गांव में मैंने अपना बचपन बिताया था। ज्ञात नहीं था। कि भविष्य में शिक्षा की ज्योति का वीणा भी इस गांव से उठाउंगा।'' यदि आप लोग मुझे जमीन दान दे तो मैं इसी गांव में उच्च शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए डिग्री कालेज का निर्माण सभी के सहयोग से कुछ करें। कुछ लोगों ने सिंह साहब के विचारों से प्रेरित होकर जमीन दान देने की सत् घोषणा कर परिणामतयः 7 बीघा जमीन की उद्घोषणा से सिंह साहब ने प्रेरित होकर 17500 रू. गांव से 15 दिन में चंदारूप में प्राप्त किये जमीन के साथ–साथ धन अर्जित कर सिंह साहब का स्वप्न दृढ़ संकल्प में परिवर्तित हो गया। शनैः शनैः विश्वास व स्वप्न कार्यरूप में परिणित हुआ।

(जीवन में सफलता के लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है)

Patience and the determination are the bugde words"

महाविद्यालय का शिलान्यास पूर्व विधायक श्री रामदीन, डा. राम सिंह, डा. सुरेन्द्र सिंह राठौर, विद्या राम यादव, श्री विनायक दत्त दूबे, श्री नेत्रपाल सिंह बचपन के सहपाठी श्री लक्ष्मी रतन सर्राफ, श्री दीपसिंह, श्री विष्णु शंकर मिश्र, झब्बू सिंह यादव आदि से कराने का व्रत पूर्ण कर सिंह साहब ने महर्षि कपिलमुनि आश्रम में भारत के समस्त मानवों के द्वारा पूजित पवित्र विशाल पीपल का वृक्ष की शीतल छाया में मन्द–मन्द पवन दुलार में एक संगोषे की जिसमें सहयोग की आंकाक्षा से ओत–प्रोत सतरूपी आप्त वचनों को कहां उक्त उद्‌गोरों से प्रेरित संगोष्ठी सहयोगियों ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वास दिया।

शिलान्यास के पश्चात् सिंह साहब पिपीलिका की भांति चन्दे की खोज में अहर्निश परिश्रम करने लगे और प्रतिदिन प्रति प्रहर बेवर से जुड़े सभी गांवों में चन्दा के रूप में गेंहू, पैसा सहर्ष स्वीकार कर लाकर महाविद्यालय के विकास में शीघ्रता कर दी। इसके पश्चात् जिला मैनपुरी के अनेक पूंजीपतियों से मिलें उन्होंने भी सहयोग कर उत्साहवर्धन का कार्य किया। इसके पश्चात् श्री सिंह साहब महाविद्यालय के समीप स्थित गग्गरपुर आश्रम में प्रसिद्ध व सिद्ध ऋषि श्री श्री 108 श्री सुखराज गिरि महाराज के पास पहुंचे उनके समक्ष महाविद्यालय स्थापना का संक्षिप्त परिचय बताकर गुरूजी से करबद्ध प्रार्थना कर कमलरूपी चरण पड़ने के लिए महाविद्यालय आने की आत्मिक गुहार की। गुरू सर्वश्र होता है। ह्रदस्थ गुहार को सुनकर महाविद्यालय में पदार्पण करने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। श्री श्री 108 श्री सुखराज गिरि जी महाराज, गुरू जी अचानक ही दो दिवस महाविद्यालय के सहयोग के लिये देता हूं और आश्रम पर बुधवार और गुरूवार को बैठूंगा। इधर प्रतापी महर्षि की पवित्र पावन तपोभूमि पर सुस्थापित महाविद्यालय के सहयोग के लिए तपस्वी गुरू जी सुखराज गिरि जी महाराज आ गये उस परमपिता परमात्मा का शुभ मुहर्त कैसा अवर्णनीय सहयोग जो कि संगम सा हो गया। इध रनाम से धर्मराज मेजर युधिष्ठर सिंह जी का सत्प्रयास सत्सहयोग श्री श्री परम तपस्वी महर्षि कपिल मुनि महाराज की तपोभूमि पर निर्मित महाविद्यालय।

इधर कालेज का निर्माण शनैः शनैः होने लेगा 11 जुलाई 1994 को अस्थायी सम्बद्धता महामहिम मोतीलाल बोरा राज्यपाल उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा मिली, जिसमें महत्वपूर्ण सहयोग राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री सुबोध नाथ झा का रहा। (इसके पश्चात् सन् 1995–96 में महाविद्यालय में परीक्षाकेन्द्र के लिए अथक प्रयास सिंह साहब ने प्रेरित किया। परिणामतः 27 जून 1996 को परीक्षा केन्द्र स्वीकृति पत्र कुलपति महोदय आगरा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा मिला।

(188 छात्र–छात्राओं से यहां परीक्षा केन्द्र बना) 4 जुलाई 1996 से महाविद्यालय में प्रथम परीक्षा की शुरूआत हुई। माह अगस्त सन् 1997 में डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारामहाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई प्रदान की गई। जिसमें 100 छात्र–छात्राएं नामांकित हुये। सन् 1997 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक बटालियन कम्पनी प्रदान की गयी। जिसमें 100 छात्र–छात्रायें नामांकित हुये। महाविद्यालय का विस्तारण होते–होते 1 जुलाई सन् 2000 से महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी। तत्पश्चात् महाविद्यालय के विकास से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली (यूजीसी) के द्वारा 2 (एफ) व 12 (बी) में महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 23 अगस्त 2001 को स्वीकृत पत्र प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस महाविद्यालय को प्रथम अनुदान कम्प्यूटर के लिए प्राप्त हुआ। इस सत्र में महाविद्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें 100 छात्र–छात्राओं का नामांकन किया जायेगा।

उद्‌देश्य

प्रथम उद्‌देश्य	**द्वितीय उद्‌देश्य**	**तृतीय उद्‌देश्य**
ग्रामीण अंचल की उच्च शिक्षा की कमी को दूर करना।	जाति, वर्ग व धर्म आदि भेदभाव से रहित छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर सर्वागींण विकास करना।	समाज व राष्ट्र की सेवा के लिए गौरवशाली/प्रतिभाशाली विद्यार्थी बनाना।

भवन

महाविद्यालय का भवन कस्बा बेवर से 2 किमी. दूर शान्त व सुरम्य व सुरक्षित वातावरण में स्थित है। हवादार विशाल कमरों के साथ विषयवार पृथक–पृथक कक्षा आवंटित है। विभिन्न परिवर्तनों के मध्य अपनी गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखते हैं। महाविद्यालय जिला मैनपुरी मे पर्याप्त ख्याति अर्जित कर डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा तथा प्रदेश स्तर पर ख्याति अर्जित कर विकासोन्मुख है।

महाविद्यालय प्रबन्धक समिति

श्रीश्री 1008 सुखराज गिरि जी महाराज संरक्षक

(पंचतत्व विलीन)

मेजर युधिष्ठिर सिंह संस्थापक/संरक्षक

(पंचतत्व विलीन)

1. श्री रवीन्द्र मोहन द्विवेदी अध्यक्ष
2. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ''विल्टन'' सचिव/कोषाध्यक्ष
3. श्री सन्तोष भारतीय (पूर्व सांसद एवं सम्पादक) सदस्य
4. श्री अनार सिंह यादव सदस्य
5. श्री सुधीर कुमार सिंह सदस्य
6. श्री शिव मंगल सिंह सदस्य
7. श्री विवेक कुमार सिंह सदस्य
8. जस्टिस महेन्द्र नारायण सिंह सदस्य
9. श्री अवधेश सिंह सदस्य
10. रिक्तसदस्य
11. रिक्तसदस्य
12. रिक्तसदस्य
13. रिक्तसदस्य
14. प्राचार्य डा. मयंक सिंह सदस्य (पदेन)
15. डा. शैलेन्द्र सिंह सदस्य
16. डा. प्रवीण कुमार सिंह सदस्य
17. श्रीमती मधुबाला कर्मचारी प्रतिनिधि

महाविद्यालय के समस्त शिक्षक मंडल पटल (ग्रन्थालय पटल)

1. डा. मयंक कुमार सिंह (प्राचार्य) एम.ए. (हिन्दी), राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, पीएचडी
2. डा. महावीर सिंह शाक्य (प्रवक्ता, हिन्दी) एम.ए., (हिन्दी) , अंग्रेजी, इतिहास, पीएचडी
3. डा. सर्वेश कुमार सिंह (प्रवक्ता, समाजशास्त्र), एम.ए. पीएचडी
4. डा. भूपेन्द्र सिंह (प्रवक्ता, राजनीति शा0) एम.ए. पीएचडी
5. डा. मुकेश बाबू चन्देल (प्रवक्ता, अर्थशास्त्र) एम.ए. पीएचडी
6. डा. निशा सिंह (प्रवक्ता, हिन्दी) एम.ए. पीएचडी
7. डा. प्रवीन कुमार यादव (प्रवक्ता, भूगोल) एम.ए. पीएचडी
8. डा. नीरू सिंह (प्रवक्ता, समाज शा0) एम.ए. पीएचडी
9. डा. देवेश प्रताप सिंह (प्रवक्ता, राजनीति शा0) एम.ए. पीएचडी
10. डा. वीर सिंह (प्रवक्ता, अंग्रेजी) एम.ए., पीएचडी
11. डा. इन्दु (प्रवक्ता, गृहविज्ञान) एम.ए., एम. फिल
12. डा. अनुराधा दीक्षित (प्रवक्ता, गृहविज्ञान) एम.ए., एम. फिल

वाणिज्य संकाय

1. श्री मनोज कुमार सक्सेना (प्रवक्ता, कामर्स) एम.कॉम

बी.टी.सी. संकाय

1. डा. मुकेश बाबू चन्देल (प्रभारी) एम.ए. एम.एड. पी.एच.डी.
2. डा. शैलेन्द्र कुमार सिंह (सह प्रभारी) एम.ए. पी.एच.डी.
3. श्री कुलदीप दीक्षित (शारीरिक शिक्षक) एम.पी. एड
4. डा. सर्वेश कुमार सिंह (प्रवक्ता)
5. डा. निशा सिंह (प्रवक्ता)
6. श्री योगेश कुमार (प्रवक्ता) एम.एस.सी. एम.एड.
7. श्री रविकान्त (प्रवक्ता) एम.ए. एम.एड.

कम्प्यूटर प्रशिक्षक–
धर्मेन्द्र कुमार
पुस्तकालय अध्यक्ष–
श्रीमती मधुबाला
लिपिक– महेशचन्द्र
चतुर्थ श्रेणी–
सुरेन्द्र कुमार

पुस्तकालय एवं वाचनालय विभाग

1. रिक्त पद पुस्तकालय अधीक्षक
2. श्रीमती मधुबाला पुस्तकालय लिपिक
3. श्री प्रेमपाल यादव पुस्तकालय सहायक

तृतीय श्रेणी पटल

1. श्री विमल मिश्रा एम.ए. राज.शा.–समाज शास्त्र प्रधान लिपिक/लेखाकार
2. श्री विजय कुमार मिश्रा एम.कॉम सहायक लेखाकार

3. श्री महेश चन्द्र एम.ए. लिपिक
4. श्री अखिलेश सिंह एम.ए. बी.एड. लिपिक
5. श्री शिवकुमार सिंह एम.ए. लिपिक

चतुर्थ श्रेणी पटल

1. श्री सुरेन्द्र सिंह कार्यालय सहायक
2. श्री घनश्याम विद्युत मिस्त्री
3. श्री निशान सिंह राज/परिचयर
4. श्री श्रवण कुमार मिस्त्री
5. श्री महेश चन्द्र परिचालक
6. श्री दशरथ पाल
7. श्री प्रेमपाल सिंह साइकिल स्टैण्ड
8. श्री सुभाष चन्द्रा द्वारपाल
9. श्री रनवेश यादव चालक
10. श्री लालराम स्वच्छकार
11. श्री विजेन्द्र कुमार स्वच्छकार

कम्प्यूटर विभाग अभिकलित्र विभाग

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पी.जी.डी.सी.ए.) कम्प्यूटर प्रशिक्षक

महाविद्यालय समितियाँ

परीक्षा समिति

1. डा. मयंक कुमार सिंह (प्राचार्य)
2. डा. महावीर सिंह शाक्य
3. डा. सर्वेश कुमार सिंह
4. डा. मुकेश बाबू चन्देल
5. डा. भूपेन्द्र सिंह
6. डा. निशा सिंह
7. डा. शैलेन्द्र कुमार सिंह

प्रवेश समिति

1. डा. मयंक कुमार सिंह (प्राचार्य)
2. डा. महावीर सिंह शाक्य
3. डा. सर्वेश कुमार सिंह (बीए प्रथम वर्ष)
4. डा. प्रवीण कुमार सिंह (बीए द्वितीय वर्ष)
5. डा. शैलेन्द्र कुमार सिंह

अनुशासन समिति

1. डा. मयंक कुमार सिंह (प्राचार्य)
2. डा. महावीर सिंह शाक्य
3. डा. सर्वेश कुमार सिंह (बीए प्रथम वर्ष)
4. डा. प्रवीण कुमार सिंह (बीए द्वितीय वर्ष)
5. डा. शैलेन्द्र कुमार सिंह

कीड़ा समिति

1. डा. शैलेन्द्र कुमार सिंह
2. डा. भूपेन्द्र सिंह

छात्रवृत्ति समिति

1. डा. महावीर सिंह शाक्य

2. डा. निशा
3. डा. मुकेश बाबू चन्देल

सांस्कृतिक कार्यकम समिति

1. डा. निशा सिंह
2. डा. मुकेश बाबू चन्देल

राष्ट्रीय सेवा योजना समिति

1. डा. मुकेश बाबू चन्देल
2. डा. निशा सिंह

राष्ट्रीय कैडिट कोर समिति

1. डा. सर्वेश कुमार सिंह

वाद–विवाद प्रतियोगिता

1. डा. महावीर सिंह शाक्य
2. डा. सर्वेश कुमार सिंह (बीए प्रथम वर्ष)
3. डा. शैलेन्द्र कुमार सिंह

पुस्तकालय समिति

1. डा. मयंक कुमार सिंह
2. डा. महावीर सिंह शाक्य
3. डा. सर्वेश कुमार सिंह (बीए प्रथम वर्ष)
4. डा. निशा सिंह

छात्रावास समिति

1. डा. मयंक कुमार सिंह
2. डा. महावीर सिंह शाक्य
3. डा. शैलेन्द्र कुमार सिंह
4. डा. निशा सिंह

B.A.

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत
4. राजनीति शास्त्र
5. समाज शास्त्र
6. अर्थ शास्त्र
7. भूगोल
8. गृह विज्ञान

विषय समूह

समूह 'अ' (कोई विषय)		समूह 'ब' (कोई दो विषय)		समूह 'स' (कोई एक विषय)		समूह 'द' (अनिवार्य विषय)	
1.	हिन्दी भाषा	1.	हिन्दी साहित्य	1.	समाज शास्त्र	1.	फिज़िकल एजूकेशन
2.	सामान्य भाषा	2.	अंग्रेजी साहित्य	2.	अर्थ शास्त्र		
3.	सामान्य संस्कृत	3.	संस्कृत साहित्य	3.	राजनीति विज्ञान		
		4.	भूगोल				
		5.	गृह विज्ञान				

B.Sc.

समूह 'अ' (गणित)		समूह 'ब' (जीव विज्ञान)		समूह 'स' (अनिवार्य विषय)	
1.	गणित	1.	जन्तु विज्ञान	1.	फिज़िकल एजूकेशन
2.	भौतिक विज्ञान	2.	वनस्पति विज्ञान		
3.	रसायन विज्ञान	3.	रसायन विज्ञान		

B.Com.

समूह 'अ'		समूह 'ब'		समूह 'स'		समूह 'द' (अनिवार्य विषय)	
1.	बिजिनेस ऐडमिन्सिट्रेशन	1.	एकाउण्ट्स एण्ड लॉ ग्रुप	1.	एप्लायड बिजिनेस इकोनॉमिक्स	1.	फिज़िकल एजूकेशन

M.A.
(कला संकाय)

1. संस्कृत
2. हिन्दी
3. राजनीति शास्त्र
4. समाज शास्त्र

B.T.C.
(बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट)

कुल निर्धारित– सीट 50

पाठ्यक्रम– 2 वर्षीय

सेमेस्टर – 4

बी0ए0 कक्षाओं का, शुल्क विवरण	बी0एस0सी0 कक्षाओं का, शुल्क विवरण	एम0ए0 कक्षाओं का, शुल्क विवरण
छात्र निधि शुल्क	छात्र निधि शुल्क	छात्र निधि शुल्क
1. परीक्षा शुल्क	1. परीक्षा शुल्क	1. परीक्षा शुल्क
2. परिचय पत्र	2. परिचय पत्र	2. परिचय पत्र
3. पत्रिका	3. पत्रिका	3. पत्रिका
4. नामांकन शुल्क	4. नामांकन शुल्क	4. नामांकन शुल्क
5. पी0बी0एफ0	5. पी0बी0एफ0	5. पी0बी0एफ0
6. छात्र कल्याण	6. छात्र कल्याण	6. छात्र कल्याण
7. इन्सीडेंटल पुस्तकालय	7. इन्सीडेंटल पुस्तकालय	7. इन्सीडेंटल पुस्तकालय
8. वाचनालय	8. वाचनालय	8. वाचनालय
9. चिकित्सा शुल्क	9. चिकित्सा शुल्क	9. चिकित्सा शुल्क
10. क्रीड़ा शुल्क	10. क्रीड़ा शुल्क	10. क्रीड़ा शुल्क
11. वार्षिकोत्सव	11. वार्षिकोत्सव	11. वार्षिकोत्सव
12. परीक्षा आवेदन शुल्क	12. परीक्षा आवेदन शुल्क	12. परीक्षा आवेदन शुल्क
13. सांस्कृतिक प्रोग्राम	13. सांस्कृतिक प्रोग्राम	13. सांस्कृतिक प्रोग्राम
14. स्वल्पाहार	14. स्वल्पाहार	14. स्वल्पाहार
15. वाहन शुल्क/साइकिल स्टैण्ड	15. वाहन शुल्क/साइकिल स्टैण्ड	15. वाहन शुल्क/साइकिल स्टैण्ड
16. सी0डी0 कालेज विकास	16. सी0डी0 कालेज विकास	16. सी0डी0 कालेज विकास
3160/-	**3400/-**	**4116/-**
कुल योग प्रथम वर्ष	कुल योग प्रथम वर्ष	कुल योग प्रथम वर्ष
कुल योग द्वितीय वर्ष	कुल योग द्वितीय वर्ष	कुल योग द्वितीय वर्ष
कुल योग तृतीय वर्ष	कुल योग तृतीय वर्ष	कुल योग तृतीय वर्ष

सुविधायें

1. पुस्तकालय कक्ष

विद्यार्थियों के स्वाध्याय हेतु पुस्तकालय की उचित व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी रिक्त कालाशं में एकान्तचित होकर स्वाध्याय करते हैं। पुस्तकालय में विद्यार्थियों के विषय संबंधी व प्रतिस्पर्धा परीक्षा संबंधी पुस्तकों की उचित/समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

2. जलपान गृह

महाविद्यालय में जलपान गृह की उचित व्यवस्था है जिसमें उचित दर से खाद्य सामग्री उपलब्ध है। समीप ही शीतल जल की टंकी भी उपलब्ध है।

3. क्रीड़ा प्रांगण

महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रांगण की भी उचित व्यवस्था है जिसमें वालीबाल क्रिकेट , कबड्डी हाकी, खो–खो, बैडमिन्टन, बास्केट बाल , दौड़ ऊंची व लम्बी कूद इत्यादि खेलकूल प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है।

एन.सी.सी. कार्यालय

कार्यालय महाविद्यालय में एनसीसी कक्ष की भी व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थियों को एनसीसी कैडिटस की गणवेश इत्यादि की उचित रखरखाव है।

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवायोजना की 3 यूनिट है।

शौचालय

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के शौचालय की उचित व्यवस्था है जो पृथक–पृथक है।

विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश नियम

1. विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा जबकि उनके पास स्टूडेण्ट वीसा हो और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो। वे कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों तथा उन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुति किया गया हो।
2. विदेशी छात्रों के प्रवेश आवेदनपत्र काले में तभी स्वीकार किये जायेंगे जब उन्हें विश्वविद्यालय से अनुमति पत्र प्राप्त हो चुका हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरांत कुलसचिव का हस्ताक्षर युक्त अनुमति पत्र प्राप्त हो।

समिति के निम्न सदस्य होंगे

1. अधिष्ठाता विदेशी छात्र
2. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य चक्र क्रमानुसार
3. एसएन मेडीकल कालेज,आगरा के प्राचार्य द्वारा नामित मेडीकल कालेज कावरिष्ठ अध्यापक।

नोट : विदेशी छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवेदनपत्र महाविद्यालय में स्वीकार किया जायेगा।

स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर होगा।

स्नातक कक्षायें

हाईस्कूल एवं समकक्ष कपरीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत

या

हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत

इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का50 प्रतिशत

अतिरिक्त अंक अधिकतम 15 अंक

शैणिक योग्यता अंकों के साथ निम्न अतिरिक्त अंकों कोजोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 15 अंकों से अधिक नहीं होगा।

स्नातक कक्षायें

1 एनसीसी सर्टिफिकेट सी, बी/ जी–1 में उत्तीर्ण 15 अंक

3. एनएसएस 240 घण्टे का कार्य एवं 2 कैम्प 100 अंक
4. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र एवं अविवाहित पुत्री 5 अंक
5. प्रवेश स्तर खिलाड़ी के लिए 8
   उपस्थिति संबंधी निर्देश

1 डा. बी.आर. अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा के नियमानुसार प्रत्येक विषय में प्रत्येक प्रवक्ता द्वारा प्रत्येक कालांश में उपस्थित अनिवार्य रू॰ से ली जायेगी। यदि आपकी उपस्थिति 75 प्रतिशत नहीं होगी तो आप परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा/जायेगी।

2. महाविद्यालय में निम्नलिखित पदों पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य रू॰ से ली जायेगी।

1. राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस
2. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस
3. 2 अक्टूबर गांधी जयन्ती
4. 5 सितंबर शिक्षक दिवस

महाविद्यालय स्थापना दिवस 25 अगस्त स्थापना दिवस/वार्षिकोत्सव

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता दिवसों पर उपस्थिति

अर्न्त महाविद्यालय स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर राज्यस्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रतियोगितओं के लिए उपस्थिति अनिवार्य होगी।

एनएससी एवं एनएसएस के शिविरों/परेड में 100 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य होगी। अनुपस्थिति रहने पर आप उक्त योजनाओं के लाभों से वंचित कर दिये जायेंगें

महाविद्यालय गणवेश

ग्रीष्म कालीन ऋतु में स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित गणवेश

स्नातक छात्र/छात्राओं हेतु

छात्राओं हेतु

1. स्नातक स्तर पर सभी छात्राओं के लिये सफेद कुर्ता, सलवार, दुपट्टा तथा काले/सफेद जूते अनिवार्य होंगे तथा परिचय पत्र गले में रहना अनिवार्य है।

छात्रों हेतु

सभी स्नातक स्तर के छात्रों को सफेद शर्ट स्लेटी पैन्ट तथा काले जूते में महाविद्यालय में आना अनुमन्य होगा तथा परिचय पत्र गले में रहना अनिवार्य है।

स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं हेतु

छात्राओं हेतु

एम.ए. स्तर पर छात्राओं के लिए कोको कोला रंग का कुर्ता, क्रीम सलवार तथा क्रीम दुपटटा व सफेद /काले जूते पहन कर महाविद्यालय आना अनिवार्य होगा।

छात्रों हेतु

एम.ए0. स्तर पर छात्रों के लिए क्रीम शर्ट, कोको कोला रंग पेन्ट, काले जूते अनिवार्य होंगे।

शीतकालीन ऋतु में छात्र छात्राओं के लिये स्नातक

छात्राओं के लिए काला स्वेटर

छात्रों के लिए नेवी ब्लू स्वेटर

2 शीतकालीन ऋतु में स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के लिए कोको कोला रंग का स्वेटर

प्रवेश नियमावली

1. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित मूल्य 150 रूप्ये देकर कार्यालय से विवरण पत्रिका प्राप्त कर सकेगे।
2. यह अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में प्रवेश के संबंध में निरंतर सम्पर्क करता रहे औरसूचना पट पर दी गयी सूचनाओं/सूचियों का ज्ञान रखें ताकि निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में प्रवेश ले ले।
3. विवरण पंजिका के अंत में संलग्न प्रवेश पत्र में वांछित सूचनाएं साफ–साफ भरनी होगी
4. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अनुशासन संबंधी एक अलग से प्रपत्र दिया गया है जिसे आप अच्दी तरह पढ़कर प्रपत्र को पूर्ण कर अपने हस्ताक्षर कर अपने पिता व संरक्षक के हस्ताक्षर कराकर जमा करें। प्रपत्र में अनुशासन संबंधी शर्ते यदि मान्य होगी तभी प्रवेश दिया जायेगा।
5. अध्ययन काल में यदि कोई महाविद्यालय में उक्त शर्तों /अनियमिताओं पायी जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर निष्कासित कर दिया जायेगा।
6. महाविद्यालय के कार्यलय में प्रवेश फार्म प्राप्त करने के प्श्चात छात्र/छात्रा स्वयं अपने प्रश्न पत्रों से संबंधित प्राध्यापकों के पास जाकर अपने फार्मों पर विषय लेने की स्वीकृति प्राप्त करके अनुशासन अधीक्षक से स्वीकृत प्राप्त कर प्रवेश ले सकेगा/सकेगी।

प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
2. गत संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र
3. अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
4. जिन छात्र/छात्राओं के प्रवेश आवेदन पत्र अपूर्ण होंगे तथा उनके साथ आवश्यक पपत्र संलग्न ही होगें उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक/आवेदिका का होगा।
5. उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतियां
6. प्रवेश समिति की संस्तुति प्राचार्य द्वारा प्रमाणिक फार्म कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रवेश पूर्ण माना जायेगा।
7. यदि प्रवेशार्थी किसी शासकीय अर्धशासकीय अथवा किसी क्षेत्र के किसी विभाग में सेवारत हैं तो वहां के सर्वोच्च अधिकारी का अनुमति प्रमाण पत्र भी साक्षात्कार के समय जमा करना होगा।
8. ऐसे विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में नामांकित है वे अपनी नामांकन संख्या प्रवेश आवेदप पत्र में यथास्थान अवश्य अंकित कर दें नवीन विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही नामांकन आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क देना होगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के प्श्चात् किसी भी छात्र, छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विश्वविद्यालय नियमानुसार उत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
10. व्यक्तिगत रू‍प से विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे छात्र/छात्रा को प्रवेश केसमय स्वयं आकर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
11. सरकार की आरक्षण नीति यह प्रवेश में पूरी तरह से मान्य होगी आरक्षण संबंधी शासनादेश संख्या 2638/95–10–94 (60) 89 दिनांक 30.07.94 में परिलक्षित प्रावधानों के अनुसार होगा।
12. स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा जिनका नियम प्रवेश किसी अन्य के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।
13. महाविद्यालय में 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

सामान्य नियम –

प्राचार्य /प्राचार्या के प्रदेश के मामलें में डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय (आगरा विश्वविद्यालय) की विवरण पुस्तिका अध्याय के नीचे उदघृत 2 ए के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें।

Subject to the order issued under sub section (4) of section 28 of the Act. The principal shelf be the sole authority of admit of refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however duly and strictly follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as by be given to him from time by the University.

"Provided that the Principal may at his discretion refust to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith"

प्रवेश निरस्तीकरण एवं निषेध

1- जो छात्र /छात्रा निर्धारित तिथि तक अपने प्रवेश कराकर बकाया शुल्क जमा नहीं करेंगे तो उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

2- अधोलिखित कारणों से किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश वर्जित होगा। यदि किसी कारणवश उसे प्रवेश दे दिया होगा तो भी निरस्त कर दिया जायेगा।

(क) अन्य किसी महाविद्यालय द्वारा निष्कासन।

(ख) इस महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाना।

(ग) छात्र/छात्रा पर आईपीसी (भारतीय दण्ड विधान) अथवा सी.आर. पी.सी. धाराओं के अन्तर्गत कोई मुकदमा अथवा मॉरल टरपीटयूट के जुर्म के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाना। किसी शिक्षक, छात्र अथवा कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार के कारण निश्ष्कासित किया जाना।

नोट : उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त समय स्थान पर डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रसारित प्रवेश नियम भी लागू होंगे।

शिष्टाचार एवं अनुशासन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय–पत्र अपने साथ रखना आवश्यक होगा जिसको महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

2. महाविद्यालय में आ जाने पर कोई भी छात्र/छात्रा निर्धारित समय–सारिणी के आधार पर अथवा 2 बजे से पूर्व बिना लिखित अनुमति के बाहर नहीं जा सकेगा/सकेगी।
3. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शोभनीय गणवेश में ही महाविद्यालय में आना अपेक्षित होगा। किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने खाली घण्टों (रिक्त कालाशों) के समय में बरामदें व कार्यालय के पास खड़े नहीं होगें। दुर्व्यवहार, कार्य में लापरवाही और अनुत्तर कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। गंभीर आरोप सिद्ध होने पर विद्यार्थी को महाविद्यालय से निश्ष्कासित भी किया जा सकता है। अतः वाचनालय में बैठकर अपने समय पर सदुपयोग कर ज्ञानार्जन करें।
5. प्रत्येक साइकिल/मोटरसाइकिल आदि वाहनों से आने वाले छात्र/छात्राएं वैन स्टैण्ड पर ही अपना वाहन खड़ा करेंगे/करेंगी।
6. कार्यालय प्रांगण में छात्र/छात्राओं में आपसी वार्तालाप बहुत संयत एवं मृदु शैली में होना चाहिए। यदि कोई भी छात्र/छात्रा महाविद्यालय प्रांगण में कोई अपशब्द बोलता है तो उस पर अनुशासनात्मक लिखित कार्यवाही कर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में उपस्थिति

डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा प्रवेश के लिए प्रत्येक विद्यार्थी (छात्र/छात्राओं) को पूरे सत्र के कुल व्याख्यानों में से 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति कम होने की दशा में विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा/सकेगी।

शुल्क संबंधी सूचना

उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय में देय होगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शुल्क लिपिक द्वारा हस्ताक्षरित रसीद को अवश्य लें। महाविद्यालय शुल्क आदि प्रत्येक रसीद को सुरक्षिज्ञत रखना विद्यार्थी का प्रमुख उत्तरदायित्व होगा।

1. डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।
2. जो शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
3. अनुसूचित जाति–जनजाति आदिम जनजाति के छात्रों को शुल्क राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।

शुल्क मुक्ति

महाविद्यालय में निर्धन व मेधावी छात्र/छात्राओं को पूर्ण एवं अर्धशुल्क सचिव कोष से मुक्त किया जाता है। शुल्क मुक्ति निम्नलिखित नियमों के अनुसार शुल्क मुक्ति समिति की संस्तुति के आधार पर प्रदान की जायेगी।

1. शुल्क मुक्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र नियत तिथि तक कार्यालय में जमा करना होगा।
2. मेधावी छात्र/छात्राएं ही शुल्क मुक्ति प्राप्त कर सकेगें/सकेंगी। जिन विद्यार्थियों ने गत परीक्षा में 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं वे मेधावी श्रेणी के विद्यार्थी माने जायेंगे।
3. जिन निर्धन विद्यार्थियों को निर्धनता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही योग्यता के आधार पर शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।
4. खेलकूद में राज्य स्तरीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की ओर से कुछ शुल्क मुक्ति सहायता प्रदान की जायेगी।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जिन्हें राजकीय छात्रवृत्ति मिलती है ऐसे विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
6. जो छात्र/छात्राएं किसी अन्य विद्यालय से इस वर्ष महाविद्यालय में आयेंगी और जिन्हें विद्यालय में किसी प्रकार की शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी ऐसे विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र के साथ उस विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का शुल्क मुक्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
7. मेधावी व निर्धन छात्र/छात्राओं को शुल्क मुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु शुल्क मुक्ति महाविद्यालय समिति के समक्ष निश्चित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थिति होने की दशा में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. शुल्क मुक्ति हेतु अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(मूल प्रतिलिपि ही प्रस्तुत करें)

आय का स्रोत

1. मसिक वेतन (महंगाई भत्ते सहित)
2. व्यवसाय
3. खेती एवं व्यवसाय

सम्बन्धित अधिकारी

तत्सम्बन्धी आहरण पदाधिकारी/राजपत्रित अधिकाकरी/अन्ध्य अधिकारी इनकम टैक्स रिटर्न/नगरपालिका/टाउन एरिया/ग्राम सभा के अधिकृत अधिकारी /मालिक दुकान किराया रसीद/ठेकेदार तहबाजारी/तहसीलदार/कानूनगो/ब्लाक प्रमुख

पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय में छात्र/छात्राओं का सदस्य बनना वैकल्पिक हैं परिचय पत्र दिखाने पर उसे पत्रक उपलब्ध हो जायेगें।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक पत्रक पर एक पुस्तक 8 दिन के लिए दी जायेगी। इससे अधिक समय तक रखे जाने पर रू. 1 की दर से आर्थिक दण्ड देय होगा। पुस्तक वापस करने की तारीख यदि अवकाश या परीक्षा के दिनों में पड़ती है तो महाविद्यालय खुलने के दिन ही पुस्तक जमा हो जानी चाहिये। ऐसा न करने पर अवकाश के दिनों का भी आर्थिक दण्ड देना होगा।
3. छात्र/छात्राओं द्वारा पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त हो जाने के पश्चात पुस्तक के रखरखाव व सुरक्षा का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा।
   (नोट : पत्रक को संभाल कर रखना विद्यार्थी का ही उत्तरदायित्व होगा। परीक्षा से पूर्व पुस्तक को पुस्तकालय में वापस करना होगा।)
4. पुस्तकालय पत्रक खो जाने पर दूसरा पत्रक 5 रूप्ये जमा करने पर ही मिल सकेगा अथवा नहीं।
5. विद्यार्थी पत्र–पत्रिकाएं , अपने विषय से सम्बन्धित पुस्तकें लेते समय उसके पृष्ठ अवश्य देख लें। पृष्ठ निकलने या पुस्तक फटने पर नवीन पत्रिका या पुस्तक जमा करनी होगी।
6. पुस्तकालय में शांत बैठना एक आदर्श विद्यार्थी का परिचायक है।
7. पुस्तकालय में विद्यार्थी अपनी पुस्तक आदि नहीं ले जा सकेगा/सकेगी।
8. पुस्तकालय में पत्र–पत्रिका, सिलेबस और प्रश्न पत्र आदि परिचय पत्र जमा करने पर ही उलपब्ध हो सकेगा। जो बिना पुस्तकालय अनुमति के पुस्तकालय से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। नियम का उल्लघंन करने पर प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड देय होगा।
   (नोट : पुस्तकालय के समस्त नियमों का पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य होगा।)